



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019/पौष 10, 1941

No. 757]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/PAUSHA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सं. 9/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 980(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2710 19 44, 2710 19 49” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2710 19 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iii) क्रम संख्या 7क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2710 19 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iv) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2710 12 41, 2710 12 42, 2710 12 49, 2710 12 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 22 अगस्त, 2019, जिसे सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

No. 9/2019-Central Excise

G.S.R. 980(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against Sl. No. 3, for the entry in column (2), the entry “2710 19 44, 2710 19 49” shall be substituted;
 - (ii) against Sl. No. 7, for the entry in column (2), the entry “2710 19 39” shall be substituted;
 - (iii) against Sl. No. 7A, for the entry in column (2), the entry “2710 19 39” shall be substituted;
 - (iv) against Sl. No. 10, for the entry in column (2), the entry “2710 12 41, 2710 12 42, 2710 12 49, 2710 12 90” shall be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st January, 2020.

[F. No. 354/207/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 07/2019-Central Excise, dated the 22nd August, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 591(E), dated the 22nd August, 2019.